2017 का विधेयक संख्यांक 75

(दि राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

5 (2) ये 1 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन ।

2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 2009 का 35

"परंतु यह और कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या उस रूप में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा ।" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे गणतंत्र के प्रारंभ से ही समान अवसर के उपबंधों के माध्यम से प्रजातंत्र के सामाजिक ढ़ांचे को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक आरंभिक शिक्षा की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया गया है । हमारे संविधान में प्रगणित राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभिकथित किए गए हैं कि राज्य, चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा ।

2. संविधान (छियासीवां) संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21क के अंत:स्थापन के अनुसरण में छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को प्रवृत्त हुआ ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के परंतुक में, उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पाँच वर्ष की नियत अवधि, 31 मार्च, 2015 तक उक्त धारा की उपधारा (1) में यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता न रखने वाले अध्यापकों के लिए अंतिम सीमा के रूप में ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने को नियत की गई थी ।

4. उपर्युक्त उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए, उक्त अवधि के पूर्ण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकारें सेवा में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी रखने में समर्थ नहीं हैं । अत:, राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अवधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया है, जिससे वह उक्त प्रशिक्षण प्रक्रिया को आरंभ और पूरा करने में समर्थ हो सके ।

5. अत:, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में एक नए परंतुक के अंत:स्थापन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 लाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक नियुक्त शिक्षक या 31 मार्च, 2015 को, यथास्थिति, में, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से ही चार वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित कर सके ।

6. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
3 अप्रैल, 2017

प्रकाश जावेड़कर

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) में, यह उपबंध करने के लिए, एक नया परंतुक अंत:स्थापित करने का उपबंध करता है कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या उस रूप में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा । अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित व्यय सर्वशिक्षा अभियान के अधीन अनुमोदित आबंटन से किए जाएंगे । रकम, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मध्य सामान्य राज्यों के लिए 60 : 40 के अनुपात में विभाजित होगी, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90 : 10 तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत सर्वशिक्षा अभियान के अधीन भाग पद्धति के अनुसार होगा । यह अनुमानित है कि 31 मार्च, 2019 तक अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए पश्चातवर्ती वर्षों में अग्रनीत करने में 453.62 करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय अंतर्वलित होगा । यह रकम सर्वशिक्षा अभियान के लिए अनुमोदित बजट आबंटन से पूरी होगी ।

2. विधेयक में कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 35) से उद्धरण

* * * * * *

23. (1) * * * * *

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें ।

(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा ।

* * * * * *

GMGIPMRND—41LS(CRC)—5-4-2017.